माननीय न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी और *न्यायमूर्ति के. एस. कुमारन के समक्ष*

अनीता याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा सार्वजनिक सेवा आयोग और एक *और,-उत्तरदाता।*

C.W.P. No. 12437 of 1995

5th जून, 1995

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 14 और 226–रिक्तियां–हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)–सेवाओं में रिक्तियां–इसके बाद नियमों में संशोधन करके पात्रता बदल दी गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि ऐसी रिक्तियां पुराने पात्रता मानदंडों के अनुसार भरी जानी हैं - माना जाता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो रिक्तियों को आगे बढ़ाने का प्रावधान करता है - नियोक्ताओं को किसी भी समय रिक्तियों को भरने का अधिकार है - तदनुसार पदों को फिर से विज्ञापित करने के लिए आयोग खुला है संशोधित नियम के साथ.

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नियमों के तहत सीटों के बैकलॉग को आगे बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता इस स्थिति में भी नहीं है कि वह हमें कानून का कोई प्रावधान या किसी न्यायालय का फैसला सुना सके कि रिक्त होने वाली रिक्तियों को आगे बढ़ाया जाए और रिक्ति के समय निर्धारित योग्यता के आधार पर भरा जाए। किसी भी व्यक्ति के पास किसी विशेष समय पर रिक्त होने वाले पद पर नियुक्ति का दावा करने का कोई निहित, कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। आम तौर पर, यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि वह जब चाहे पद भर दे।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता की याचिका कि उपरोक्त

निर्देश प्रकृति में स्थायी थे और जब तक कि पहले की सभी रिक्तियों को भरा नहीं जाता, तब तक जारी रखने का इरादा है, इसमें कोई सार नहीं है।आयोग के लिए यह खुला था कि वह संशोधित नियमों और संशोधित योग्यताओं के अनुसार पदों का पुनः विज्ञापन करे।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता - व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित

राजीव आत्मा राम, अधिवक्ता, अरुण नेहरा, अतिरिक्त अधिवक्ता - ए. जी. हरियाणा, प्रतिवादीगणओं के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी

1) जतिंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 1995[1] में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर बिना बार में तीन साल के अभ्यास के अपेक्षित अनुभव के बिना, याचिकाकर्ता को एच.सी.एस. (न्यायिक शाखा) की परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी जो फरवरी/मार्च, 1995 के महीने में आयोजित की गई। । उक्त परीक्षा में असफल होने के बाद, याचिकाकर्ता ने को एच.सी.एस. (न्यायिक शाखा) की परीक्षा को आयोजित करने के लिए जुलाई, 1995 के महीने में जारी किए गए विज्ञापन को रद्द करने की राहत पाने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है। प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि हरियाणा की

[1]1995 (1) आर. एस. जे. 752

न्यायिक सेवा में 19 पदों के बैकलॉग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी के पास **ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन केस बनाम यू.ओ.आई., 1992**[2] और **ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यू.ओ.आई., 1993**[3] संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिणामस्वरूप संशोधित नियमों द्वारा निर्धारित अपेक्षित अनुभव नहीं है फिर भी वह परीक्षा में बैठने योग्य है

2) याचिकाकर्ता ने जतिंदर कुमार के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा संदर्भित और नोट किए गए विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है।

3) प्रतिवादी-लोक सेवा आयोग की ओर से दायर जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि **ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले (सुप्रा**) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिणामस्वरूप, तीन साल अदालत में वकील.के रूप में अभ्यास की शर्त को निर्धारित करते हुए संबंधित नियमों में संशोधन किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे मामले में लागू नहीं होते हैं। यह तर्क दिया गया है कि यह न्यायालय **'रेणु आहूजा बनाम पंजाब राज्य, 1992'**[4]। पहले ही याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों के दायरे और दायरे पर विचार कर चुका है और उन्हें मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं होने वाला माना है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि **जतिंदर कुमार के मामले (सुप्रा)** में इस न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वह परीक्षा में असफल रही और उसका चयन नहीं किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि यह गलत धारणा वाली और बिना किसी तथ्य के है।

---

[2] 1992 (1) एस. एल. आर 426

[3] आर.एस.जे. 610.

[4] एस.एल.आर.' 263,

4) हमने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता और प्रतिवादीगण के वकील को सुना है।

(5) उल्लेखनीय है कि पंजाब लोक सेवा आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्षों से अधीनस्थ न्यायाधीशों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने में विफलता पर इस न्यायालय में जनहित में एक याचिका (C.W.P. No. 15693/1994) दायर की गई थी जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उत्तरदाताओं को मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने और अधीनस्थ न्यायाधीशों की भविष्य में होने वाली संभावित रिक्तियों को भरने के लिए भी उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। याचिका को एक जनहित याचिका के रूप में माना गया और 2 नवंबर, 1994 के न्यायालय के आदेश के तहत, हरियाणा लोक सेवा आयोग सहित उत्तरदाताओं को पंजाब और हरियाणा के राज्यों में अधीनस्थ न्यायाधीशों के पद को" भरने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया गया। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उस रिट याचिका में अधीनस्थ न्यायाधीशों के 64 पद रिक्त होने का आरोप लगाया गया था, जिन्हें परीक्षा आयोजित करके भरने का निर्देश दिया गया था। 28 नवंबर 1994 के अदालती आदेश के तहत, जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 के लिए, यह निर्देशित किया गया था:

> “हरियाणा लोक सेवा आयोग, जिसने पहले ही एचसीएस (न्यायाधीश) के लिए पदों का विज्ञापन कर दिया है, परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करेगा। इस चयन की प्रक्रिया को दो महीने में पूरी करेगा। चयन प्रक्रिया अंतरिम निर्देशों या इस न्यायालय में लंबित किसी भी रिट याचिका में किए गए अंतिम निर्णय के अधीन होगी”

भले ही प्रत्यर्थी-आयोग को सभी पदों को भरने का निर्देश दिया गया था, फिर भी उन्होंने केवल 32 पदों का विज्ञापन दिया, जिनके लिए विज्ञापन नोटिस पहले संभवतः इस धारणा के तहत जारी किया गया *था कि जतिंदर* कुमार के मामले (ऊपर) को देखते हुए, उन्हें उन पदों को अलग से भरना था।हालांकि, चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हरियाणा की अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए शेष 19 रिक्तियों को छोड़कर केवल 13 उम्मीदवारों का चयन *किया* जा सका।न्यायालय ने 1 जून, 1995 को सी. डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 1 में पारित आदेश के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग को 40 रिक्तियों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें उपरोक्त 19 रिक्तियां शामिल हैं, जिनके लिए विशिष्ट अनुसूची निर्धारित की गई थी।अदालत के निर्देशों के अनुसरण में, इस रिट याचिका में आक्षेपित विज्ञापन नोटिस जारी किया गया था।सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15693/1994 *में* पारित आदेशों के अनुसार, वर्तमान रिट याचिका का उद्देश्य स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश को रोकना है।

7) याचिकाकर्ता का तर्क है कि 19 सीटों का बैकलॉग था जिसे पुरानी योग्यताओं के आधार पर भरा जाना चाहिए यदि स्वीकार किया जाता है तो विनाशकारी परिणाम होंगे क्योंकि लोग न्यायालय में आ सकते हैं और भरने के लिए जोर दे सकते हैं रिक्तियों को वर्षवार बढ़ाया जाएगा, न कि उस समय मौजूद रिक्तियों के आधार पर जब रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हों। माना कि नियमों के तहत सीटों के बैक लॉग को आगे बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता हमें इस आशय का कानून का कोई प्रावधान या किसी न्यायालय का निर्णय दिखाने की स्थिति में भी नहीं है कि रिक्त होने वाली रिक्तियों को आगे बढ़ाया जाए और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर भरा जाए। वह समय जब रिक्ति निकली थी. किसी भी व्यक्ति के पास किसी विशेष समय पर रिक्त होने वाले पद

पर नियुक्ति का दावा करने का कोई निहित, कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। आम तौर पर, यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि वह जब चाहे पद भर दे। नियोक्ता राज्य द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफलता पर, उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं जैसा कि हमने पहले ही *सी.डब्लू.पी. 1994 का क्रमांक 15693* में शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ता को **ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले (सुप्रा)** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कथित तौर पर रिक्त पड़े पद के खिलाफ चयन का दावा करने और नियमों में संशोधन के बाद निर्धारित योग्यता पर जोर दिए बिना उन पदों को भरने का आग्रह करने का कोई अधिकार नहीं मिला है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा रखा गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह उन व्यक्तियों में से पदों को भरने के लिए निर्देश जारी करने जैसा होगा, जिनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, जो चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक शर्त है। याचिकाकर्ता का दावा न तो प्रामाणिक है और न ही वास्तविक।

8) याचिकाकर्ता ने वाई. वी. रंगैश बनाम जे श्रीनिवास राव[5], पी. गणेश्वर राव बनाम ए. पी. राज्य सरकार[6], पी. महेंद्र बनाम कर्नाटक राज्य सरकार[7], एनटी डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग[8]

यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जतिंदर कुमार के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा इन सभी निर्णयों पर ध्यान दिया गया था, जिसमें यह पाया गया था। "इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी याचिकाकर्ताओं के पास अपेक्षित योग्यताएं थीं और वे 1 मई, 1983 के विज्ञापन के अनुसरण में चयनित होने के पात्र थे और उनमें से प्रत्येक ने उक्त विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया था।" इसके बाद न्यायालय ने उठाई गई याचिका पर विचार किया

[5] 1983(3) SCC 2085
[6] 1988(4) S.L.R. 548
[7] 1990(1) S.L.R. 307
[8] 1992 (2) 378

और पाया कि जिस मुद्दे को निर्धारित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या संशोधन उन रिक्तियों के संबंध में लागू किया जा सकता था जो ^4II भारत के न्यायाधीशों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले विज्ञापित की गई थीं। एसोसिएशन केस (सुप्रा) जब स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं के पास विज्ञापन के समय और आवेदन पत्र भरने की तारीख से पहले निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं थीं। अदालत ने कहा, "पूरी स्रोत-सामग्री, जिससे आयोग को चयन करना था, 31 मई, 1993 तक उपलब्ध हो गई थी।" उस मामले में न्यायालय ने यह भी पाया कि वे सभी व्यक्ति जो पिछले विज्ञापन के समय पात्र थे, चयन के उद्देश्य से आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने के हकदार थे। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

> “परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। यह घोषित किया जाता है कि जिन याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 2 दिनांक 1 मई, 1993 के जवाब में आवेदन किया था, वे हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में नियुक्ति के लिए चयन के लिए विचार किए जाने और उनकी अस्वीकृति के पात्र हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवारी गैरकानूनी है। प्रतिवादी आयोग को याचिकाकर्ताओं को अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ उक्त सेवा में चयन के लिए पात्र मानने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश उन सभी अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा, जिन्होंने इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया होगा। यदि याचिकाकर्ता या उनमें से कोई भी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो सरकार आयोग की सिफारिश पर आवश्यक आदेश पारित करेगी।“

याचिकाकर्ता की यह दलील कि उपरोक्त निर्देश शाश्वत प्रकृति के हैं और सभी पिछली रिक्तियों को भरे जाने तक जारी रखने का इरादा है, बिना किसी तथ्य के है। **रक्षा मंगी बनाम निदेशक,**

माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा[9] मामले में यह न्यायालय पहले ही कह चुका है कि मामले में सर्वोच्च न्यायालय के **पी-गणेश्वर राव *के मामले (उपरोक्त)***[10] के मद्देनजर, आयोग को संशोधित नियमों और संशोधित नियमों के अनुसार पदों को फिर से विज्ञापित करने की अनुमति दी गई थी।

(10) **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रघबीर सिंह**[11] मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें केवल वैध उम्मीद थी कि उनके दावे पर तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। सरकार बदले हुए नियमों के अनुसार चयन करने और अंतिम भर्ती करने की हकदार थी। किसी भी उम्मीदवार को राज्य के खिलाफ कोई निहित अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है और उसे उस अधिसूचना को वापस लेने का हकदार माना जा सकता है जिसके द्वारा उसने पहले भर्ती अधिसूचित की थी और संशोधित नियमों के आधार पर उस संबंध में नई अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया था। उस मामले के तथ्य यह थे कि बाट एवं माप विभाग में इंस्पेक्टर के पद को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गये थे। पात्रता के लिए निर्धारित योग्यता कला या वाणिज्य या विज्ञान या इंजीनियरिंग में डिग्री या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा थी। विज्ञापन सूचना के आधार पर, लिखित परीक्षाएँ आयोजित की गईं और परिणाम घोषित किए गए जिसके बाद बोर्ड ने सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार कॉल जारी किए। इस बीच, सरकार ने नियमों में संशोधन किया और पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता योग्यता में बदलाव करते हुए भौतिकी के साथ विज्ञान में

[9] 1992 (4) S.L.R 606
[10] 1995 (1) R S. J. 609
[11] 1995 (1) R. S. J. 609

डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रस्तुत किया। पीड़ित चयनित उम्मीदवारों ने संशोधित नियमों को इस आधार पर चुनौती दी कि कला या वाणिज्य की डिग्री के साथ निरीक्षकों के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद, राज्य का दायित्व था कि वह अधिसूचना में निर्धारित योग्यता के अनुसार ही भर्ती के साथ आगे बढ़े। निर्धारण और नियमों में आगामी संशोधन उनकी नियुक्ति पर विचार करने के रास्ते में नहीं आ सकता। प्रशासनिक न्यायाधिकरण में विवाद को अनुकूल पाया गया, जिसने उपरोक्त उम्मीदवारों द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दे दी। उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका में ट्रिब्यूनल के आदेश को यह कहते हुए रद्द करते हुए अपील को कम कर दिया: -

> "यह विवाद में है कि बाट और माप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए योग्यता के रूप में विज्ञान या इंजीनियरिंग में डिग्री या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा को शामिल करने के लिए वैधानिक नियम बनाए गए हैं। यह स्थापित कानून है कि राज्य को भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं है। यहां एक मामला यह है कि संशोधित नियमों के अनुसार, सरकार ने पिछली अधिसूचना वापस ले ली है और भर्ती को नए सिरे से आगे बढ़ाना चाहती है। यह किसी अर्जित अधिकार का मामला नहीं है. जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, उन्हें उस समय के नियमों के अनुसार उनके दावों पर विचार किए जाने की वैध अपेक्षा ही अस्पष्ट थी। संशोधित नियमों का केवल संभावित प्रभाव है। सरकार परिवर्तन नियमों के अनुसार चयन करने और अंतिम भर्ती करने की हकदार है। जाहिर तौर पर किसी भी उम्मीदवार ने राज्य के खिलाफ कोई निहित अधिकार हासिल नहीं

किया। इसलिए, राज्य उस अधिसूचना को वापस लेने का हकदार है जिसके द्वारा उसने पहले भर्ती अधिसूचित की थी और संशोधित नियमों के आधार पर उस संबंध में नई अधिसूचना जारी करने का अधिकार है।"

11) याचिकाकर्ता का मामला किसी भी तरह से उन लोगों से बेहतर नहीं है जिन्होंने ओ.ए. में मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर से ओ.ए. में 1992 की संख्या 248. संपर्क किया था। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इसमें याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया था और उन्होंने पुराने नियमों के आधार पर नियुक्ति के लिए दावा पेश किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता के पास शुरू की गई चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए अपेक्षित योग्यताएँ नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, संशोधित नियमों और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर सी.डब्ल्यू.पी. 1994 का क्रमांक 15693, वर्तमान रिट याचिका बिना किसी तथ्य के है जिसे तदनुसार खारिज कर दिया गया है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद हरियाणा